

जिला समाप्त करने के विरोध में शाहपुरा पूर्णतया बंद रहा

सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (नि.सं.) अभिभाषण संस्था शाहपुरा के बैनर तले जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संपूर्ण शाहपुरा पूर्णतया बंद सफल रहा। 28 दिसंबर 2024 को सरकार द्वारा शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में 28 जनवरी 2025 को ब्लैक डे मनाया गया, जिसमें शाहपुरा कोरोना के बाद पूर्णतया ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा। शाहपुरा में व्यापारियों, सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही और जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया। वहीं महलों के चौक में आम सभा में शाहपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरवासी, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हजारों की संख्या में भाग लिया।



शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित महापड़ाव में भारी जनसमूह उमड़ा।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शाहपुरा बंद नहीं बना जाता, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संयोजक रामप्रसाद जाट ने 15 दिन में शाहपुरा को जिला का दर्जा वापस नहीं देने पर सरकार के विरुद्ध नेशनल हाईवे चक्का जाम कर महापड़ाव कर उग्र आंदोलन का ऐलान किया। आम सभा को किसान केसरी सिंह के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा, भारत विकास परिषद के जयदेव जोशी, अधिवक्ता अनिल

शर्मा, नमन ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता अर्पित कसेरा, अविनाश शर्मा, मुस्लिम समाज से एडवोकेट ताज मोहम्मद ने संबोधित किया। कवि दिनेश बंटी ने कविता के माध्यम से शाही से कौन बड़ा कविता सुनाई और उर्मिला कुमार ने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों प्रस्तुत किया तथा आभार अभिभाषक संस्था के सहसचिव एडवोकेट कमलेश मुंडेतिया ने व्यक्त किया। संचालन एडवोकेट राम प्रसाद जाट ने किया। आम सभा के बाद जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल

राजोरा के नेतृत्व में आमसभा में उपस्थित हजारों की संख्या में आमजन ने महलों के चौक से विशाल जन आक्रोश रैली में नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी शाहपुरा को शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिला बचाओ संघर्ष समिति के महासचिव एवं अभिभाषक संस्था के सह सचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि शाहपुरा की जनता ने शाहपुरा जिला समाप्त होने पर 28 जनवरी को ब्लैक डे मनाया और आमसभा से पूर्ण सभी अधिवक्ताओं

ने शहर के महलों के चौक से सदर बाजार होते हुए नए बस स्टैंड और कालिजारी गेट से फुलिया गेट तक शांतिपूर्ण वाहन रैली निकालकर लोगों को जिला रहने का महत्व बताया एवं शाम छह बजे घरों में ताली और ताली बजाकर तथा आठ बजे घरों की लाइट बंद कर ब्लैक आउट मनाये की अपील की। आम सभा महलों के चौक में विभिन्न गांव से आए लोगों, किसानों, ग्रामीणों ने शाहपुरा को वापस जिला बनाने की मांग के समर्थन में रैली निकाली। इस आमसभा में करीब 7 -

जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया

8 हजार लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के शहर काजी सैयद शराफत अली, मौलाना निसार मोहम्मद, विश्व हिंदू परिषद के रामेश्वर लाल धाकड़, बजरंग दल के हनुमान धाकड़, संघर्ष समिति के रामेश्वर लाल सोलंकी, अभिभाषक संस्था के उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह रणवाल, सचिव वीरेंद्र पथरिया, कोषाध्यक्ष तेजप्रकाश पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष दीपक मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा, नरेंद्र रेगर, पीसीसी सदस्य संदीप जीनगर, दुर्गा बैरवा, रेगर समाज अध्यक्ष रतनलाल मुंडेतिया, विप्र समाज अध्यक्ष अंकुर ओझा, मोहेश्वरी समाज के कृष्ण गोपाल मुंदा, अग्रवाल समाज के शंकर अग्रवाल, जैन समाज अंबेडकर विचार मंच यातायात सलाहकार समिति प्रॉपटी डीपल्ट एसोसिएशन राजेंद्र बोहरा रामस्वरूप खटौट सहित कई मंचासीन रहे।

लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में जांच शुरू

जोधपुर, (कासं)। शहर के बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर केस में अब सीबीआई जांच आरंभ हो गई है। मंगलवार को सीबीआई की टीम

सीबीआई टीम जोधपुर पहुंची और जांच शुरू की

अलग-अलग स्थानों पर टीम की तरफ से पड़ताल किए जाने के साथ बयान लेने के साथ सबूत जुटाए जा रहे हैं।

जोधपुर पहुंची और जानकारी जुटानी शुरू की। नौ जनवरी को सीबीआई की तरफ से तत्कालीन पुलिस अधिकारी एवं जवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंची। अलग-अलग स्थानों पर टीम की तरफ से पड़ताल किए जाने के साथ बयान लेने के साथ सबूत जुटाए जा रहे हैं। समाचार पत्रों और टेलीविजन पर उस वक्त चले कवरेज से भी कड़ी से कड़ी से जोड़ रही है। पुलिस ने मामले को एनकाउंटर करार दिया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस के डिप्टी एसपी मोहनचंद्र सिंह के निर्देशन में यह जांच आरंभ की गई है। प्रकरण के अनुसार इसमें राणादा थाने के तत्कालीन एसएचओ लीलाराम, कान्स्टेबल जितेंद्र सिंह, किशन सिंह, विश्वास और अंकित को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार लवली कंडारा के परिजनों और रिश्तेदारों ने एनकाउंटर केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। पुलिस पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था।

चार हजार की रिश्तत लेते प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को जोधपुर जिले के पीपाड़ तहसील कार्यालय में एक प्राइवेट व्यक्ति को चार हजार की रिश्तत लिए जाने के आरोप में पकड़ा है। अब तक जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्तत ले रहा था। परिवारी की एक रजिस्ट्री संशोधन के नाम पर यह रिश्तत ली गई।



आरोपी प्राइवेट व्यक्ति

ब्यूरो के ग्रामीण एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर जिले के तहसील कार्यालय पीपाड़ सिटी में दलाल का चार हजार की रिश्तत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डा. रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि तहसील कार्यालय

पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर में परिवारी की रजिस्ट्री में संशोधन करवाने की एवज में आरोपी द्वारा रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्तत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर डीआईजी हेरेंद्र महावर के सुपरविजन में एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ट्रेप अधिकारी उपाधीक्षक किशनसिंह चरण एवं निरीक्षक सुनिता कुमारी ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र मुन्दियाडा उर्फ जिताराम को रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्तत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसपी राठौड़ ने बताया कि तहसीलदार पीपाड़ सिटी व उनके रीडर की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी।

जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्तत ले रहा था

तस्कर गिरफ्तार

करौली, (नि.सं.)। करौली पुलिस ने ऑपरेशन स्मैक आउट के तहत स्मैक तस्करों के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने धोबी दह चोर खिड़कियां के रहने वाले आकाश माली 23 को पकड़ा है। थानाधिकारी सुनील कुमार के अनुसार पुलिस टीम जब मासलपुर दरवाजा के बाहर गश्त कर रही थी, तब एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परात दिखाते हुए उसे घेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 5 ग्राम 95 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख 10 हजार रूपए आंकी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी महवा से करौली में स्मैक की सप्लाई करने आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्मैक तस्करों का मामला दर्ज कर लिया है और अब स्मैक तस्करों में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।

हथियार सहित गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा

आरोपियों के खिलाफ अनेक मामले दर्ज हैं

सादलपुर, (नि.सं.)। राजगढ़ कस्बे में बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में अश्वेध हथियार और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने तीन दिन के रिमांड के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

फाजिलका पंजाब को एक पिस्तूल मय एक जिंदा कारतूस सहित तथा तीसरे आरोपी मुकेश कुमार उर्फ भीम पुत्र साधुराम नाई निवासी वार्ड नं. दो नन्दा कॉलोनी नोहर पुलिस थाना नोहर हाल उधमसिंह चौक संगरिया जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया था। जिनमें गिरफ्तार आरोपी हनुमान बाबरी हनुमानगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है तथा आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी के अलावा आर्म्स एक्ट, हथियार, लूट व डकैती के दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अन्य दोनों आरोपियों के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि जेल भेजे गये आरोपी हनुमान बाबरी पुत्र मनफूल बाबरी निवासी आईआईटी कालोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को एक देशी कट्टा मय दो जिंदा कारतूस सहित तथा आरोपी सज्जन कुमार पुत्र हंसराज कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अबोहर पुलिस थाना भाववाला जिला

राजस्व मंडल में 22 कार्मिकों की पदोन्नति हादसे में पिता-पुत्री की मौत

अजमेर, (कासं)। राजस्व मंडल में आयोजित विभागीय पदोन्नति संमेलित की अनुशंसा से 22 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनमें छह कार्मिक संस्थापन अधिकारी तथा 16 कार्मिक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। राजस्व मंडल निबंधक महावीर

प्रसाद ने बताया कि संस्थापन अधिकारी बने कार्मिकों में महेंद्र सिंह गौड़, निरंजन, विशान सिंह राठौड़, कपला चांदबानी, जगतनारायण पारीक व राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों में करम सिंह चौहान, ललिता साहू, दीपेंद्र शर्मा, विनोद प्रकाश

मालाकार, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर लाल जाट, निशा गुप्ता, दयानंद कुमार, मधुसूदन भाटी, मुकेश कुमार पांडेय, नवनीत कुमार माहेश्वरी, विक्रम भारती, अर्जुन यादव, भैरूराम वर्मा, अजय कुमार व टोकमचंद दीवाकर शामिल हैं। सभी पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है।

गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल पाली, (नि.सं.)। पाली में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रौला अनियंत्रित होकर बाइक पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाये गये हैं। गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल

प्रजापत ने बताया कि हादसा पाली तेज रफ्तार ट्रौला अनियंत्रित होकर बाइक पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाये गये हैं। गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल

पहचान गुडा एंडला थाने के किरवा गांव निवासी 45 साल के मांगलाल पुत्र हिमताराम मोणा और उनकी बेटी ललिता के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पिता-पुत्री मजदूरी का काम करते थे। काम खत्म होने पर दोनों बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए।

अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। पुलिस थाना नसीराबाद सदर ने मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नसीराबाद बाइपास के पास एक कार से 954 ग्राम अफीम जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओमप्रकाश के निर्देशानुसार और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी अशोक बिशु के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने नसीराबाद बाइपास सरहद दिवाड़ा पर एक कार को रोककर तलाशी ली।

कार से 954 ग्राम अश्वेध अफीम बरामद की गई। इस दौरान कार चालक परविंदर सिंह पुत्र गुरुबक्स सिंह और खलासी सीट पर बैठे जगरूप सिंह पुत्र दिलीप सिंह दोनों निवासी तलबंदी साबो, जिला फाटिंडा, पंजाब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि मामले में तस्करों के नेटवर्क को खंगलने के लिए गहन अनुसंधान किया जा रहा है।

दो टैकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जन्रेटर मय टैपो जव्व

टैकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे



पुलिस ने केमिकल चोरी के मामले में कार्रवाई की।

बहरहोद राजन दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि भाबर थाना प्रभारी जयसिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए केमिकल से भरे हुए दो टैकरों व जन्रेटर मय टैपो पर पानी की मोटर मय पाइप को जप्त कर एक टैकर चालक गोविंद सिंह पुत्र भैरु सिंह निवासी रेडियाखेड़ी पुलिस थाना

मावलजी जिला उदयपुर व खरीददार स्थानीय युवक युसुफ अली उर्फ बबलु पुत्र अब्दुल करीम उर्फ कालू निवासी सब्जी मंडी के पीछे गांधीनगर तन केरली पुलिस थाना भाबर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा

राजावत ने बताया कि 25 जनवरी को एनएच 48 पर टैकरों से केमिकल चोरी होने की सूचना पर टैकर चालक गोविंद सिंह को मय टैकर पकड़ लिया। वहीं दूसरा टैकर चालक बालू सिंह फरार हो गया। दोनों टैकर उदयपुर से केमिकल भर पंजाब व हरिद्वार जा रहे थे एवं चालक स्थानीय युवक युसुफ अली उर्फ

बबलु से मिलकर रास्ते में तरल केमिकल निकालते समय चोरी के उपकरणों सहित पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। शांति चोर टैकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे। फरार मुल्जिम बालू सिंह की तलाश जारी है।

युवक की मौत : गंगापुर सिटी के समीपवर्ती विनेगा गांव में टेंट हाउस की दुकान में काम करने वाले युवक की करंट से झुलसने से मौत हो गई। युवक दो साल से विनेगा गांव स्थित टेंट हाउस पर काम कर रहा था। टेंट लगाते समय वह हाईटेशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद लवकुश मोणा (22) को साथ के युवक गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मौत घोषित कर दिया।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय (पुल)/40/2024-25
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्वियमेंट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु (सिविदा पर आपूर्ति के तहत) ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा धारता आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE :- JOD2425A0156
Tender ID/UBN No. :- JOD2425WSOB00340
 एन.सं.एल/सी/24/10910 अतिथी/अभियंता (मुख्यालय)

कार्यालय अधिशासी अभियंता मुर्लीपुष्प जोन नगर निगम, गेट्टर जयपुर
ई-निविदा सूचना संख्या 26-35/2024-25
 केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विभागों से विभिन्न निवास आर्म्स की जांचो के लिए। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तिथि, टेण्डर खर्च आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्वियमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम गेट्टर, जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्वियमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जा सकती है।
UBN No. :- JMC2425WSOB01182 TO 01193
 अतिथी/अभियंता (मुख्यालय जोन), नगर विकास गेट्टर, जयपुर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
 पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान)
 दूरभाष-0145-2429053, फैक्स-0145-2433813, Email - ajmer@raj.nic.in, ajmer@rajasthan.gov.in Website - www.raj.nic.in
 क्रमांक :- MEW/2024-25/4139 दिनांक :- 24.01.2025
निविदा सूचना सं 48/2024-25
 नगर निगम अजमेर द्वारा विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों तथा नगर निगम अजमेर में पार्सलिंग श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से 01 कार्यों (गंभी वसत पार्क के पास पार्सलिंग स्थल पर तीन पाइपे लगाने का कार्य) हेतु कुल राशि 1.35 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की जाती है जो प्रकाश दिनांक से 30.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक किरवा की जिला कार्यालय दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 3.30 बजे उपस्थित संबन्धकों के समक्ष खोली जावेगी। कार्यों की विस्तृत जानकारी वेब पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
NIB No Code :- ANN2425A0182
UBN No. :- ANN2425SLOB00300
 एन.सं.एल/सी/24/10942 अतिथी/अभियंता (मुख्यालय जोन), नगर निगम अजमेर

Rajasthan State Council of Educational Research and Training
 111, SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.) Pin 313001, Telephone: 0294-2415171
 E-mail: - director.rcser@rajasthan.gov.in
No. F-RSCERT/UDR/Acc/2024-25/632 Date :- 28/01/2025
NOTICE INVITING E-BID FOR HIRING AN ASSESSMENT AGENCY IN RSCERT, UDAIPUR
(NIB No. 9/2024-25) NIB Code SCE2425A0009
 Single Stage Two-envelopes unconditional online Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for Hiring an assessment Agency in Rajasthan State Council of Educational Research and Training, Udaipur. The estimated cost of the required services is Rs. 1.22 crore (in words one crore twenty two lakh only). All interested bidders should submit the required documents and DD/Banker's cheque until 17 February 2025, 1:00 PM. All the terms and conditions for participating in the bid can be seen and downloaded from <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in>.
UBN: SCE2425SLOB00011 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान
 आबकारी भवन-2 गुनियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001
 क्रमांक-F.32(B)/1(A)P/JEXL/2024-25-03000 part(6)/1462 दिनांक-28.01.2025
पड़त मंदिरा की रिटेल ऑफ कम्पोजिट दुकानों के अनुहापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना-
 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी एवं मद्य संयंत्र नीति वर्ष 2024-25 के अनुसार पड़त रही कम्पोजिट मंदिरा दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया से बन्दोबस्त करने हेतु निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र.सं.	निविदा विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 29.01.2025	दोपहर 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 31.01.2025	दोपहर 3.00 बजे तक
3	विधेय निविदा खोलने की दिनांक, समय व स्थान	दिनांक 31.01.2025	दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय

ई-निविदा में भाग लेने की शर्तें-

- यह निविदा वेबसाइट <https://www.sppp.rajasthan.gov.in> तथा विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाएं वेबसाइट <https://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जानी हैं। ई-निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, एन्क्रिप्शन ट्रेकोर्स/सी डब्ल्यू 2000 के तहत भाग करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में लॉगिन/साइन करने हेतु काम में आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीओसी (CCA) द्वारा जारी स्क्रीनकॉपी उभरी को प्राप्त कर सकते हैं। डिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- देशी मंदिरा, राजस्थान निर्मित मंदिरा (RML) भारत निर्मित विदेशी मंदिरा (IMFL) एवं बीयर की कम्पोजिट दुकानों का जिलेवार एवं अंके आवेदन शुल्क, अनुमानित गारण्टी राशि, अमानत राशि, धरोहर राशि, पंजीकरण शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
- ई-निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मंदिरा दुकान का कार्य डाउनलोड करने के साथ प्रतियोगी शुल्क, आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि के चालान राजकोष में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा करवाकर चालानों की प्रति अपलोड करनी होगी। इन राशियों के जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को निम्नलिखित राशियाँ उनके सामने उपलब्धित राजकोष मद में जमा करवानी होगी-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)	राजकोष लेखा मद
1	RISL की प्रक्रिया/पंजीकरण शुल्क	₹. 2000/-	8858-00-102-(16)-01 (सिविल विभाग)
2	आवेदन शुल्क	निविदा के संबंध में जारी दिशा-निदेश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार ₹. 10,000/- से लेकर ₹. 20,000/- तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	अनुमानित गारण्टी राशि की 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-ग्रेड पोर्टल से प्रक्रिया शुल्क, निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का एक चालान जनरेट करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा मद्य शुल्क) में राशि रु. एक स्रिया जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान शुल्क से राजकोष में मद 0039-00-50-00-00 में एक स्रिया जा सकता है।

- अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर सर्टिफिकेट के संबंध में सक्षम स्टार से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होंगे।
- स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस सहित ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों जो विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करवानी होगी।
- निर्धारित समय में वार्षिक राशियाँ तथा धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न करने पर सर्टिफिकेट निरस्त कर समस्त जमा राशि जफत/रज की जायेगी।
- मंदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकते, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसंयंत्र नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय सिविद अधिनियम के तहत अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्राप्य अनुबाधय स्रियादि <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त उपाय, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
- ई-निविदा के संबंध में अन्तः प्राधान आबकारी एवं मद्यसंयंत्र नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगी।
- ई-निविदा के संबंध में 1950 एवं इसके अन्तर्गत उक्त होता है तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला ही रहेगा।

UBN-EXC2425GLOB00172 (शिवमसाद नकते)

DIPRC/ /2025 आबकारी आयुक्त, राजस्थान